तारीख
हुक्म

24/11/22 PO [illegible]
पधारे [illegible]

[illegible]

25/11/22 आज अभिलेख / अभिलेख अनुपस्थित बार अवाजे लगवाई गई परन्तु अनुपस्थित। काफी देर तक पुकार करने लगवाई गई परन्तु अनुपस्थित। अतः पत्रावली रद्द करते हुए अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होम नम्बर के कक्ष हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)